राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– **146/2021**

1. कमला देवी पत्नि जैला
2. नगेन्द्र पुत्र जैला
3. सुनिता पुत्री जैला
   जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.... वादीगण

बनाम

1. बदलू पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. सत्यपाल पुत्र जैला जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. लैण्ड होल्हर नायब तहसीलदार एवं भू–अभिलेख सिंघाना जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रतिवादीगण

दावा खाता विभाजन
अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :–

1. श्री अशोक कुमार यादव	अभिभाषक	वादीगण
2. श्री मनोज कुमावत	अभिभाषक	प्रतिवादी संख्या 1

दिनांक :– 02–11–2021

–: निर्णय :–

उपर्युक्त उनवानी वाद में इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री का निर्णय दिनांक 14–10–2021 को पारित कर तहसीलदार बुहाना को तहरीर जारी की गई कि वाके ग्राम भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के हाल खाता संख्या 124 के हाल खसरा नम्बर 219 रकबा 2.56 हेक्टेयर में वादीगण का 3/8 हिस्से का एक साथ व प्रतिवादी/ प्रतिदावाकर्ता संख्या 1 का 1/2 हिस्से की भूमि का खाता अलग–अलग कायम कर लगान अलग से कायम कर पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जा काश्त तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तों सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 06–11–2004 व राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान के परिपत्र क्रमांक प. 3 (17) राज–6/2021 पार्ट/91 जयपुर दि[illegible]09–2021 के बिन्दु संख्या 6 को मध्य नजर रखते हुये माननीय राजस्व [illegible] राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./न्याय/स्था./प–15/2008/[illegible]/10546 [illegible] 05–10–2020 के परिप्रेक्ष्य में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:17:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

पक्षकारान को लिखित में सूचित कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर यथाशीघ्र भिजवायें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार काश्तकार को मिलने वाले हिस्से/रकबे के विरूद्ध प्रस्तावित किया जावे। तहसीलदार बुहाना द्वारा न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये पत्रांक भू.अ./वि.प्र./21/3955 दिनांक 29–10–2021 द्वारा प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29–10–2021 का अधिवक्ता उभय पक्षकारान को अवलोकन कराया गया तथा विभाजन प्रस्ताव पर बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान ने तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29–10–2021 के मुताबिक वाद वादीगण एवं प्रतिवादी/ प्रतिदावाकर्ता संख्या 1 अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अतः वाद वादीगण एवं प्रतिवादी/प्रतिदावाकर्ता संख्या 1 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29–10–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ-3' व 'ब') के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>आदेश</u>

अतः वाद वादीगण एवं प्रतिवादी/प्रतिदावाकर्ता संख्या 1 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29–10–2021 (प्रदर्श–'अ–1 से अ-3' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ-3' व 'ब') इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02–11–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:17:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद संख्या 146/2021
जीसीएमएस नम्बर 2021/351
उनवानी कमला देवी आदि बनाम बदलू आदि
निर्णय दिनांक 02–11–2021

(वाद में डिक्री)(अंतिम)

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान , आर.ए.एस.

1. कमला देवी पत्नि जैला
2. नगेन्द्र पुत्र जैला
3. सुनिता पुत्री जैला
   जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.... वादीगण

बनाम

1. बदलू पुत्र चन्दगी जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. सत्यपाल पुत्र जैला जाति जाट निवासी भैसावता खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. लैण्ड होल्हर नायब तहसीलदार एवं भू–अभिलेख सिंघाना जिला झुंझुनूं राज.

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट 1955
राजस्व वाद संख्या :– 146/2021
निर्णय दिनांक :– **02–11–2021**

वादीगण की ओर से **एडवोकेट श्री अशोक कुमार यादव** की व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से **एडवोकेट श्री मनोज कुमावत की** उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **02–11–2021** को **सुनील कुमार चौहान (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना** के समक्ष **अन्तिम** निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वाद वादीगण एवं प्रतिवादी/प्रतिदावाकर्ता संख्या 1 मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29-10-21 (प्रदर्श–'अ–1 से अ-3' व 'ब') के अन्तिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव (प्रदर्श–'अ–1 से अ-3 व 'ब') इस डिक्री व निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना मुताबिक प्रदर्श–'ब' के भूमि का सीमांकन करवायेंगे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह आज तारीख **02–11–2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.11.17 12:17:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, (बुहाना)